

मूल वाद में डिक्री
 (आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) इ.पि.



पीठासीन अधिकारी :- **श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.**

सरिता उनवान बनाम राजमन्थान शर्मा

दावा बाबत नाम इरस्त) 0/5 88 रवा

मुकदमा नम्बर :- 149/2021

निर्णय दिनांक - 06.12.2021

वादी की ओर से इरस्त की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06.12.2021 को श्री **राहुल सैनी आर.ए.एस.** (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के सम्क्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - राजा का सीका

दिया जाय कि वह रोही ग्राह राजसूर की छवि करिक
जाता न 27 फरवरी 2021 को श्री राहुल सैनी आर.ए.एस. के आदेश पर
सरिता दुर्गा राजमन्थान शर्मा को दे डिये जायेगी
नाम इरस्त के सम्क्ष में मई 2021 में कोई डिपॉजिट
होना है तो समस्त जिम्मेदारी वारी की होगी तब ही सदा के
उम्मानस राजसूर सफिनेको के सम्क्ष पर

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगा।

यह आज तारीख 06.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

राहुल सैनी
 (राहुल सैनी)
 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी
 चूरु

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामिल
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामिल		
जोड़		जोड़



1608
6-12-21